हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना
उनवानी छाजूराम बनाम भूमिधारी मु.सं. 59/2025

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम हुकम की तामील में जारी हुए
08-10-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार पाटन से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। वकील वादी की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।	

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार पाटन से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम "छाजूराम पुत्र मामला" दर्ज है जबकि वादी का "छाजूराम पुत्र मामला" की जगह "छाजूराम पुत्र मामराज शर्मा" सही होना बताया है। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड तथा तहसीलदार पाटन से प्राप्त रिपोर्ट से होती है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:–

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम खारिया पटवार हल्का डोकन तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 26, 27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टेयर में वादी का गलत दर्ज नाम "छाजूराम पुत्र मामला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "छाजूराम पुत्र मामराज शर्मा" दुरूस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:38:30 IST
Reason: Self Attested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. छाजूराम पुत्र मामराज शर्मा जाति ब्राहमृण निवासी ढाणी मिन्डाला की तन डोकन तहसील पाटन जिला सीकर।

–वादी–

बनाम

1. भूमिधारी जरिए तहसीलदार पाटन जिला सीकर।

–प्रतिवादी–

मुकदमा नम्बर– 59/2025
दावा बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री कुंज बिहारी शर्मा एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तहसीलदार पाटन तन ग्राम खारिया पटवार हल्का डोकन तहसील पाटन जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 23, 24, 26, 27 कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टेयर में वादी का गलत दर्ज नाम "छाजूराम पुत्र मामला" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "छाजूराम पुत्र मामराज शर्मा" दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।**

निज................×........................मुबलिग....................×........................बाबत.................×......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......................×.............................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 08 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना(राज0

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:38:30 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को, जो डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।